पत्र सं० एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता० सहित 3
25.09.2019	**न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।**	

राजस्व विविध वाद सं0–06/2017–18

भागवत प्रसाद डोकानियाँ वगै0–बनाम–अंचलाधिकारी, साहेबगंज।

आवेदकगण

1. भागवत प्रसाद डोकानियाँ, पिता–स्व0 गुलाब राय डोकानियाँ एवं
2. मुरारीलाल डोकानियाँ, पिता–स्व0 लक्ष्मी नारायण डोकानियाँ दोनों साकिन–टी0 जी0 रोड, साहेबगंज। पो0+थाना+जिला–साहेबगंज।

विपक्षी

अंचल अधिकारी, साहेबगंज, सदर

जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–11.07.2017 को अंचल कार्यालय, साहेबगंज द्वारा मौजा–समदानाला, जमाबन्दी नं0–54 के दाग नं0–200 का रकवा–04–07–14 (चार बीघा सात कट्ठा चौदह धूर) धूर भूमि को मुटेशन के समय पंजी–II में मूल रैयत रामगोपाल डोकानियाँ, पिता–शालीग्राम डोकानियाँ, लक्ष्मी नारायण डोकानियाँ, गुलाब राय डोकानियाँ, द्वारिका दास डोकानियाँ, तीनों पिता–चुन्नीलाल डोकानियाँ, (खतियानी रैयत) के खाता से दो बार घटा देने के विरुद्ध मामला अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रारंभ की गई। इस न्यायालय में उक्त वाद को अंगीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, साहेबगंज से जाँच प्रतिवेदन की मांग ज्ञापांक–08/डी0बी0, दिनांक–11.07.2017 द्वारा की गई।

भूमि सुधार न्यायालय, साहेबगंज के याचित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, साहेबगंज ने अपने पत्रांक–100/रा0, दिनांक–30.01.2018 द्वारा उक्त न्यायालय को याचित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

अंचल कार्यालय द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त ज्ञात हुआ कि मसोमात सावित्री देवी, पति–सूर्यनाथ यादव, साकिन–सकरीगली, जिला–साहेबगंज का क्य रकवा–04.07.14 धूर को दो बार मुटेशन करने के समय घटा दिया गया जिसमें दाग नं0–200 लाल स्याही से अंकित है। आवेदक द्वारा इसका सत्यापन अंचल में उपलब्ध पंजी–II से की गई। ज0 नं0–54 दाग नं0–200 के दो बार घट जाने से कुल रकवा–04.07.14 (चार बीघा सात कट्ठा चौदह धूर) धूर जमीन आवेदकगण के पूर्वज वंशज खतियानी रैयत का पंजी–II में कम हो गया। आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज हैं। अतएव मूल रैयत के नाम से संधारित पंजी–II में दोबारा घटाया गया जमीन को पुर्नस्थापन करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि ज0 नं0–54, दाग नं0–200 की जमीन रकवा–04.07.14 धूर सर्व प्रथम वर्ष–1963 में जगदीश यादव के पंजी–II में गया, फिर बाद में जगदीश यादव के पुत्र झगड़ू यादव ने 200 दाग वाली जमीन को छोटे–छोटे अंश में बिक्री कर दिया। जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अंतिम पारा से होती है। पुनः इसी जमाबन्दी नं0–54 की जमीन दाग नं0–200 वर्ष 1971 में मोती दिवान के नाम से मुटेशन कर दिया गया। मोती दिवान ने सावित्री देवी (जिसकी चर्चा पूर्व में की गयी) को बेच दिया। इसलिए सावित्री देवी के नाम से मुटेशन के पश्चात् पंजी–II. में संधारित किया गया। इस तथ्य की संपुष्टि में अंचल कार्यालय ने अपने जाँच प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि मुटेशन वाद सं0–227/89–90 के द्वारा मसोमात सावित्री देवी, पति–सूर्यनाथ यादव, रकवा–04.07.14 धूर जमीन जमाबन्दी नं0–140 में दर्ज है। जिसमें दाग नं0–200 लाल स्याही से अंकित

Scanned with CamScanner

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	कार्रवाई टिप्पणी ता०
1	2	3

है। वर्ष–1989 से अबतक 30 वर्ष से अधिक बीत गये हैं मसोमात सावित्री देवी द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि हेतु दिनांक–03.04.2018 को अंतिम नोटिस तामिला करायी गयी, फिर भी जमाबन्दीदारों द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति/दावा दाखिल नहीं किया गया है। पूर्व में उक्त दाग नं0–200 को जगदीश यादव के पुत्र झगड़ू यादव द्वारा कुल रकवा–04.07.14 धूर भूमि को अंश–अंश कर बेच दिया गया, उसमें भी मसोमात सावित्री देवी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति/दावा नहीं किया गया जो कि जमाबन्दी नं0–118 में दर्ज है। इस तरह दूसरी बार जमाबन्दी नं0–140 में उक्त घटा हुआ रकवा–04.07.14 धूर भूमि पुनः घटाया गया है। अतएव विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दूसरे व्यक्ति के नाम से दोबारा चढ़ा हुआ रकवा को सुधारने हेतु अंचल अधिकारी, साहेबगंज को आदेश देने से संबंधित आदेश पारित करने का अनुरोध किया है जिससे खतियानी रैयत के वंशज (आवेदकगण) जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में लंबित भू–अर्जन वाद सख्या–02/2015–16 में सर्वे दाग नं0–180, रकवा–02.11.06 धूर तथा भू–अर्जन वाद सं0–16/2015–16 सहित में सर्वे दाग नं0–177, रकवा–01.16.08 धूर अर्थात कुल रकवा–04.07.14 धूर (चार बीघा सात कट्ठा चौदह धूर) धूर भूमि से संबंधित वाद का निष्पादन कराते हुए लंबित राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सकें।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, लिखित बहस का अवलोकन करने तथा अंचलाधिकारी, साहेबगंज का जाँच प्रतिवेदन अध्ययनोंपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मौजा–समदानाला के ज0 नं0–54, दाग नं0–200 का रकवा–04.07.14 (चार बीघा सात कट्ठा चौदह धूर) धूर भूमि का अंचल कार्यालय, साहेबगंज द्वारा मुटेशन के आलोक में प्रथम बार ज0 नं0–118 में एवं दूसरी बार ज0 नं0–140 में दाग नं0–200 रकवा–04.07.14 धूर जमीन को घटा देने के कारण खतियानी रैयत का खाता से उक्त रकवा कम हो गया। अतएव अंचलाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दीदार मसोमात सावित्री देवी, पति–सूर्यनाथ यादव के पंजी–II में अवशेष रकवा–04.07.14 धूर, दाग नं0–200 को शून्य करते हुए उक्त रकवा–04.07.14 धूर भूमि को मूल रैयत राम गोपाल डोकानियाँ, पिता–शालीग्राम डोकानियाँ, लक्ष्मी नारायण डोकानियाँ, गुलाब राय डोकानियाँ, द्वारिका दास डोकानियाँ, तीनों पिता–चुन्नीलाल डोकानियाँ, (खतियानी रैयत) के खाता में पुर्नस्थापित करें। जिसका ज0. नं0–54 एवं खाता सं0–55 है। ताकि आवेदकगण का भू–अर्जन कार्यालय में लंबित वाद का निष्पादन किया जा सके।

आदेश की प्रतिलिपि अंचलाधिकारी, साहेबगंज तथा भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजें। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त (बन्द) की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(ह०) 27/9/19
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

(ह०) 27/9/19
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 39/डी.सी. साहेबगंज, दि० 28.9.19

प्रतिलिपि:→ अंचलाधिकारी साहेबगंज एवं भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 28.9.19
उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner